न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहुजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या :– 095/2016

1. खेतपाल पुत्र श्री भोमाराम जाति जाट उम्र 50 वर्ष निवासी 20 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।

– – वादी

–:: बनाम ::–

1. कृष्णलाल पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी डूंगरसिंहपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. जगदीश पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी डूंगरसिंहपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. हरिसिंह पुत्र हाकम सिंह जाति रायसिख निवासी ढाणी 21 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. प्रेम सिंह पुत्र हाकम सिंह जाति रायसिख निवासी ढाणी 21 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
5. बक्शो पुत्री हाकम सिंह जाति रायसिख निवासी ढाणी 21 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
6. गुरजंट सिंह पुत्र बख्तावरसिंह जाति रायसिख निवासी 21 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
7. गुरदीप सिंह उर्फ हरदीपसिंह पुत्र बख्तावरसिंह जाति रायसिख निवासी 21 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
8. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर।

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, आर.टी.ए. बाबत विभाजन

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री मनोहरलाल सहारण अधिवक्ता	वादी
2. श्री तेजासिंह अधिवक्ता	प्रतिवादी संख्या 1 व 2
3. श्री भगतसिंह अधिवक्ता	प्रतिवादी संख्या 3 ता 7
4. पैरोकार राज	प्रतिवादी संख्या 8

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 08.06.2018

वाद पत्र के अनुसार चक 21 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 13/11 के पत्थर नम्बर 0 के मुरब्बा नम्बर 18 के किला नम्बर 1/1 (0.127) हैक्टर मय खाला, किला नम्बर 1/2 (0.126) हैक्टर नहरी, 3 ता 8 प्रत्येक में 0.253 हैक्टर, किला नम्बर 9/1 (0.127) मय खाला 9/2 (0.126) हैक्टर नहरी, किला नम्बर 10, 11, 12 प्रत्येक में 0.253 हैक्टर नहरी, 13/1 (0.127) नहरी मय खाला, 13/2 (0.126) हैक्टर नहरी किला नमबर 14 ता 16 प्रत्येक (0.253) हैक्टर नहरी, 17/1 (0.127) हैक्टर नहरी, 17/2 (0.126) हैक्टर नहरी, किला नम्बर 18 ता 20 प्रत्येक (0.253) हैक्टर कुल 5.060 हैक्टर नहरी, पत्थर

लगातार 2

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

नम्बर 0 के मुरब्बा नम्बर 31 के किला नम्बर 21 ता 25 सालम मय गैर मुमकिन रास्ता कुल दोनों मुरब्बों में 6.325 हैक्टर नहरी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमे वादी के नाम से 1.265 हैक्टर रकबा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। खाता सांझा रहने से लगान व आबियाना देने में पानी की भराई, खिंचाई में तथा बैंक ऋण सुविधा व सरकारी अनुदान में कई प्रकार की व्यवहारिक व कानूनी दिक्कते आती हैं इस कारण हक व हिस्सा अनुसार, कब्जा काश्त अनुसार खता तकसील करवाया जाना आवश्यक व जरूरी है। घरू बंटवारा अनुसार हक व हिस्सा अनुसार, कब्जा काश्त अनुसार वादी के कब्जा में मुरब्बा नम्बर 31 के किला नम्बर 21 ता 25 में 1.265 हैक्टर रकबा नहरी मय गैर मुमकिन रास्ता है जिसका वह बिना किसी विघन के उपयोग व उपभोग करता आ रहा है। वादी ने कई बार प्रतिवादीगण से कहा कि घरेलु बंटवारा अनुसार, हक व हिस्सा अनुसार, कब्जा काश्त अनुसार जिस प्रकार प्रत्येक पक्ष के हिस्सा में रकबा आया है उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में खाता तकसीम करवाने के लिए आप मिल कर अपनी सहमति सक्षम अधिकारी के यहां कर दें ताकि सबका विधिवत रूप से कानूनी हक व हिस्सा अनुसार बंटवारा हो जावे। पहले तो प्रतिवादीगण आजकल – आजकल करते रहे फिर न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत करने से 15 दिन पूर्व स्पष्ट इन्कार हो गये और कहने लगे कि हम तो अपना खाता तकसीम नहीं करवाते है और ना ही आपके पक्ष में सहमति के बयान करते हैं तुम्हे जो करना है सो करो वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्व वाद हेतुक उपलब्ध है। इस प्रकार वादी द्वारा चक 21 एल.एन.पी के मुरब्बा नम्बर 31 के किला नम्बर 21 ता 25 में 1.265 हैक्टर कृषि भूमि का खातेदार घोषित कर खाता विभाजन किये जाने का निवेदन किया गया।

प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की तलबी हेतु जारी सम्मन बाद तामील प्राप्त होने पर भी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के उपस्थित नहीं आने के परिणामताः प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गयी। राज्य पक्ष की ओर से पैरोकार राज उपस्थित।

प्रतिवादी संख्या 8 राज्यपक्ष की ओर से जवाब वाद पत्र दिनांक 04 अक्टूबर, 2016 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार प्रश्नगत कृषि भूमि का विवाद पक्षकारान के मध्य आपसी विवाद है। राज्य सरकार से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। इस प्रकार राज्यहितों को मध्यनजर रखते हुऐ निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया गया।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब वाद पत्र दिनांक 02.02.2017 प्रस्तुत किया गया। जिसके अनुसार चक 21 एल.एन.पी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 89/85 में 90 हिस्सा अर्थात 4.10 बीघा कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 3 से 5 के पिता से प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दस्तावेज बैयनामा दिनांक 22 अगस्त, 1991 द्वारा क्रय किया गया है जिसमें मुरब्बा नम्बर 18 किला नम्बर 1, से 3, किला नम्बर 4 (0.10) बीघा, किला नम्बर 10 (1.00) बीघा कृषि भूमि का कब्जा दिया गया जो वर्ष 1991 से आज दिनांक तक प्रतिवादी संख्या 2 का चला आ रहा है इसी खाता संख्या मुरब्बा नम्बर 18 में 90 हिस्सा कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दिनांक 22 अगस्त, 1991 को क्रय किया गया है और किला नम्बर 4 का आधा 5 से 8 सालम कुल 4.10 बीघा खरीद के रोज से कब्जा चला आ रहा है। इसी प्रकार चक 23 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर का मुरब्बा नम्बर 18 में ही किला नम्बर 9 का आधा बीघा जमीन दिनांक 27.04.2004 को खरीद किया गया था। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का खरीद के रोज से कब्जा चला आ रहा है। मुरब्बा नम्बर 18 के किला नम्बर 1 से 8 सालम किला नम्बर 9 का आधा बीघा किला नम्बर 10 सालम

लगातार 3

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

खरीदशुदा भूमि है। जिसमे प्रतिवादी संख्या 1 का किला नम्बर 5 से 8 सालम व किला नम्बर 4 का आधा बीघा व प्रतिवादी संख्या 2 का किला नम्बर 1 से 3 सालम किला नम्बर 4 का आधा बीघा किला नम्बर 10 सालम व किला नम्बर 9 में पूर्व दिशा वाले आधे बीघा पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का कब्जा है। कब्जे के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1, 2 भी बंटवारा चाहते हैं इसी कब्जा के अनुसार यदि वादी का दावा डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी का भी खरीद के आधार पर और कब्जे के आधार पर बंटवारा करके खाता अलग किया जावे तो इसमें कोई ऐतराज नहीं है। दावा की चरण संख्या 5 जो गलती से 8 लिखा गया है, में दावा पेश करने का आधार लिया है जिसका कोई विरोध नहीं है। जवाबदावा मय अतिरिक्त कथन पेश करके निवेदन है कि दावा वादी यदि डिक्री किया जाता है तो इसके साथ अतिरिक्त कथन पैरा संख्या 4 के अनुसार प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का भी खरीदशुदा भूमि व कब्जा काश्त के अनुसार खाता विभाजन किया जाकर लगान कायम किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 अधिवक्ता द्वारा दिनांक 18 अप्रेल, 2017 को No instructions टिप्पणी हस्ताक्षरित करने के परिणामतः प्रतिवादी संख्या 3 स 7 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गयी.

पक्षकारान के मध्य उत्पन्न विवाद के निस्तारण हेतु निम्नलिखित विवाद्यकों का निर्धारण किया गया –

1. आया कि वादी द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि मुरब्बा नम्बर 31 किला नम्बर 21 ता 25 में 1.265 हैक्टर भूमि का खाता विभाजन करवाने का अधिकारी है ? – – **वादी**
2. आया कि जवाब दावा की मद संख्या 4 में वर्णित तथ्यों के अनुसार प्रतिवादीगण खाता विभाजन करवाने के अधिकारी है ? – – प्रतिवादी संख्या 1 व 2
3. अनुतोष ?

साक्ष्य वादी हेतु श्री खेतपाल द्वारा उपस्थित आकर प्रमाणित शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये जिससे प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा जिरह नहीं किये जाने के कथन हस्ताक्षरित किये गये साक्ष्य प्रतिवादी हेतु श्री जगदीश एवं श्री कृष्णलाल द्वारा उपस्थित आकर प्रमाणित शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये जिन पर वादी अधिवक्ता द्वारा जिरह नहीं किये जाने के कथन हस्ताक्षरित किये गये।

अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गयी पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन करते हुऐ प्रस्तुत बहस पर मनन किया।

विवाद्यक संख्या 1 :– आया कि वादी द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि मुरब्बा नम्बर 31 किला नम्बर 21 ता 25 में 1.265 हैक्टर भूमि का खाता विभाजन करवाने का अधिकारी है ? – – **वादी**

राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2066–2069 के अनुसार वादी के नाम पर चक 21 एल.एन.पी. के संयुक्त खाता संख्या 13/11 में 1.265 हैक्टर कृषि भूमि दर्ज है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के बिन्दु संख्या 7 में मुरब्बा नम्बर 31 किला नम्बर 21 से 25 कुल 1.265 हैक्टर कृषि भूमि पर कब्जा होने के कथन प्रस्तुत किये गये हैं जिसके विरूद्व प्रतिवादीगण द्वारा किसी भी प्रकार का विपरीत कथन अथवा अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं ऐसी स्थिति में, वादी राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2066–2069 के अनुसार वादी के नाम पर चक 21 एल.एन.पी. के संयुक्त खाता संख्या 13/11 में 1.265 हैक्टर कृषि भूमि का यथा विभाजन करवाने का अधिकारी है। इस प्रकार विवाद्यक संख्या 1 वादी के पक्ष में विनिश्चित किया जाता है।

लगातार 4

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

विवाद्यक संख्या 2 :— आया कि जवाब दावा की मद संख्या 4 में वर्णित तथ्यों के अनुसार प्रतिवादीगण खाता विभाजन करवाने के अधिकारी है ?

— — प्रतिवादी—1 व 2

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत जवाब वादपत्र दिनांक 2 फरवरी, 2017 के बिन्दु संख्या 4 में अंकित किया गया है कि चक 21 एल.एन.पी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 89/85 में 90 हिस्सा अर्थात 4.10 बीघा कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 3 से 5 के पिता से प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दस्तावेज बैयनामा दिनांक 22 अगस्त, 1991 द्वारा क्रय किया गया है जिसमें मुरब्बा नम्बर 18 किला नम्बर 1, से 3, किला नम्बर 4 (0.10) बीघा, किला नम्बर 10 (1.00) बीघा कृषि भूमि का कब्जा दिया गया जो वर्ष 1991 से आज दिनांक तक प्रतिवादी संख्या 2 का चला आ रहा है. इसी खाता संख्या मुरब्बा नम्बर 18 में 90 हिस्सा कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दिनांक 22 अगस्त, 1991 को क्रय किया गया है जिस पर निरन्तर प्रतिवादी संख्या 1 का कब्जा चला आ रहा है। इन तथ्यों के विरूद्व वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य स्वरूप शपथपत्र में किसी भी प्रकार के विपरीत तथ्य प्रस्तुत नहीं किये गये। ऐसी स्थिति में, प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 चक 21 एल.एन.पी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 89/85 में 90—90 हिस्सा का विभाजन करवाने के अधिकारी पाये जाते हैं। इस प्रकार विवाद्यक संख्या 2 प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पक्ष में विनिश्चित किया जाता है।

विवाद्यकों के विनिश्चिय के अनुसार वादी चक 21 एल.एन.पी. के संयुक्त खाता संख्या 13/11 में 1.265 हैक्टर कृषि भूमि एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 चक 21 एल.एन.पी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 89/85 में 90—90 हिस्सा का विभाजन करवाने के अधिकारी पाये जानें पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री किया जाकर वादी को चक 21 एल.एन.पी. के संयुक्त खाता संख्या 13/11 में 1.265 हैक्टर कृषि भूमि एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 चक 21 एल.एन.पी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 89/85 में 90—90 हिस्सा यथा कब्जा काश्त के अनुसार विभाजन करवाने के अधिकारी घोषित किया जाकर तहसीलदार श्रीगंगानगर को नियमानुसार विभाजन प्रस्ताव भिजवानें हेतु लिखा जानें पर तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा अपनें पत्र क्रमांक भू.अ./2018/2524 दिनांक 24.04.2018 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव भिजवाया गया।

विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्ष को सुना गया उभयपक्ष द्वारा विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए कथन किया किया कि मुताबिक विभाजन प्रस्ताव भूमि का विभाजन किया जाता है, तो उभयपक्ष को कोई एतराज नहीं है। विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन वाद वादी स्वीकार किया जाकर निम्नानुसार विभाजन किया जाता है :—

—:: आदेश ::—

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत वाद वादी स्वीकार किया तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा भिजवाये गये विभाजन प्रस्ताव पर वादी एवम् प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि का विभाजन निम्नानुसार किया जाता है :—

1. वादी संख्या 1 खेतपाल पुत्र श्री भोमाराम जाति जाट उम्र 50 वर्ष निवासी 20 एल.एन. पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के हक हिस्सा की भूमि का विवरण :—

चक नम्बर	खाता संख्या	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
21 एल.एन.पी.	13/18	31	21 ता 25	1.265 हैक्टर

लगातार 5

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

2. प्रतिवादी संख्या 1 कृष्णलाल पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी डूंगरसिंहपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के हक हिस्सा की भूमि का विवरण :–

चक नम्बर	खाता संख्या	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
21 एल.एन.पी.	13/18	18	4/2 में 0.126, 5 ता 8 सालम	1.138 हैक्टर

9. प्रतिवादी संख्या 2 जगदीश पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी डूंगरसिंहपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के हक हिस्सा की भूमि का विवरण :–

चक नम्बर	खाता संख्या	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
21 एल.एन.पी.	13/18	18	1 ता 3 सालम, 4/1 में 0.127, 10 सालम	1.139 हैक्टर

10. प्रतिवादी संख्या 3 हरिसिंह पुत्र हाकम सिंह का 0.696 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 4 प्रेम सिंह पुत्र हाकम सिंह का 0.696 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 5 बक्शो पुत्री हाकम सिंह का 0.695 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 6 गुरजंट सिंह पुत्र बख्तावरसिंह व प्रतिवादी सख्या 7 गुरदीप सिंह उर्फ हरदीपसिंह पुत्र बख्तावरसिंह का 0.570 हैक्टर बहिस्सा बराबर हक हिस्सा की भूमि का विवरण :–

चक नम्बर	खाता संख्या	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
21 एल.एन.पी.	13/18	18	9/1 में 0.127, 11 ता 20 सालम	2.657 हैक्टर

3. प्रतिवादी संख्या 1 कृष्णलाल पुत्र मनीराम व प्रतिवादी संख्या 2 जगदीश पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी डुगरसिंहपुरा के बहिस्सा बराबर हक हिस्सा की भूमि का विवरण :–

चक नम्बर	खाता संख्या	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
21 एल.एन.पी.	13/18	18	9/2 में 0.126	0.126 हैक्टर

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे। तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार स्टाम्प डयुटी प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 08.06.2018 को लिखवाया जाकर राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के अन्तर्गत आयोजित शिविर ग्राम पंचायत कोनी के मजमे आम में सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर